जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक: जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2009 / डी– 1224 दिनांक: 24/8/09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 82वीं बैठक दिनांक 13.08.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एजेण्डा संख्या</th><th>विवरण</th><th>निर्णय</th><th>अनुपालना</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>82.1</td><td>बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 81 वीं बैठक दिनांक 30.07.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।</td><td>बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 81 वीं बैठक दिनांक 30.07.2009 को सम्पन्न हुई, एजेण्डा संख्या 81.7 में उपायुक्त जोन से यह रिपोर्ट ली जावे कि संबंधित प्रकरण छः माह की पत्रावलियों में सूचीबद्ध है अथवा नहीं? शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>82.2</td><td>व्यावसायिक पुनर्गठित भूखण्ड संख्या पी–18, पी–20, पी–17 व पी–19 लाल बहादुर नगर जयपुर के व्यावसायिक पुनर्गठन किये जाने बाबत्।</td><td>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न पैरामीटर्स अनुज्ञेय किये गये:–
<table>
<tr><td>सैटबैक</td><td></td></tr>
<tr><td>सामने–I</td><td>12.0 मीटर</td></tr>
<tr><td>सामने–II (30' चौडी सडक की ओर)</td><td>तालिका च के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सामने–III (30' चौडी सडक की ओर)</td><td>तालिका च के अनुसार</td></tr>
<tr><td>पीछे–II (30' चौडी सडक की ओर)</td><td>तालिका च के अनुसार</td></tr>
<tr><td>अधिकतम आच्छादन</td><td>40 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>अधिकतम ऊँचाई</td><td>8.11 के अनुसार</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

			एफएआर	2.0 (1.2 से अधिक एफएआर हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 29.03.2007 के अनुसार देय होगा)
			1. जोन द्वारा भूखण्ड संख्या पी–20, पुनर्गठित पी–17, व पी–19, में पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार एवं भूखण्ड संख्या पी–18 में पैरामीटर्स अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर व एफएआर जो भी प्राप्त हो का उपान्तरण आदेश में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र आवासीय भूखण्ड में एफएआर अधिकतम 1.2 ही अनुज्ञेय है अतः अतिरिक्त एफएआर की राशि ली जावे। 2. व्यावसायिक रूपान्तरित भूखण्डों का पुनर्गठन उपरान्त क्षेत्रफल 3069.23 वर्ग गज अथवा 2566.13 वर्ग मीटर है जो 1500 वर्ग मीटर से अधिक है अतः राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जावे। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर पुनर्गठित मानचित्र जारी किये जावें।	
3.	82.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 85 से 88 शिवम नगर ग्राम जयपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।

4.	82.4	भूखण्ड संख्या 7/2 बी–1, विद्याधर नगर, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्त के साथ

		भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. स्टिल्ट फ्लोर / बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
5.	82.5	खसरा नम्बर 57, 57 / 163 व 57 / 165 ग्राम मानपुर देवरी टोंक रोड जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्त के साथ व्यावसायिक के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. विनियम 8.9 'ख' (vi) के अनुसार ट्रान्सफार्मर हेतु खुला चबूतरा अनुज्ञेय है संशोधित मानचित्रों में तीन ट्रांसफार्मर खुले चबूतरे में दर्शित किये गये है। जिन्हें अनुज्ञेय किया जावे। 2. संशोधित मानचित्रों के अनुक्रम में भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
6.	82.6	भूखण्ड संख्या 1, बम्बाला सांस्थानिक क्षेत्र सांगानेर के स्कूल भवन के संशोधन व प्रस्तावित हॉस्टल ब्लॉक व यूटिलिटी ब्लॉक के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. संस्था द्वारा हॉस्टल ब्लॉक 27.65 मीटर ऊॅचाई में प्रस्तावित किया है अतः भवन बहुमंजिले भवन की श्रेणी में आता है अतः संशोधित विनियम 2008 के अनुसार अमानत राशि ली जावे। 2. प्रस्तावित हॉस्टल भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा

			अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
7.	82.7	प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 26 पाम कोर्ट के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	82.8	भूखण्ड संख्या "जी" खसरा नम्बर 67, 68, 86 व 87 ग्राम नानकपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय निम्न शर्तो के साथ लिया गया:- 1. उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष मौका एवं स्वामित्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व सही है एवं भूखण्ड के प्रति कोई राशि बकाया नहीं है। 2. प्रकरण में जोन द्वारा यह जांच की जावे की उक्त प्रकरण माथुर आयोग को प्रेषित सूची में या दायरे में सम्मिलित है अथवा नहीं? यदि सूची में सम्मिलित है तो अनुमोदन हेतु राज्य सरकार से अनुमति ली जावें। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
9.	82.9	खसरा नम्बर 64, 65, 66 व 69 भूखण्ड संख्या "सी" ग्राम हेमां की नांगल, टोंक रोड जयपुर के प्रस्तावित आवासीय	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का

		फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	निर्णय निम्न शर्तो के साथ लिया गया:– 1. उपरोक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष मौका एवं स्वामित्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व सही है एवं भूखण्ड के प्रति कोई राशि बकाया नहीं है। 2. प्रकरण में जोन द्वारा यह जांच की जावे की उक्त प्रकरण माथुर आयोग को प्रेषित सूची में या दायरे में सम्मिलित है अथवा नहीं? यदि सूची में सम्मिलित है तो अनुमोदन हेतु राज्य सरकार से अनुमति ली जावें। 3. भूखण्ड की एक तरफ नाप 263'–6" के स्थान पर 259'–0" उपलब्ध है। अतः मानचित्र भूखण्ड की नाप के अनुसार ही अनुमोदित किये जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

24/8/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट - "1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 82 वीं बैठक दिनांक 13.08.2009 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। अध्यक्ष
2. श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर। सदस्य
3. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर सदस्य
4. श्री नारायण लाल मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर सदस्य
5. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर सदस्य
6. श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर सदस्य
7. श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।

24/8/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2009 / डी– 1224 दिनांक : 24/8/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............ जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

24/8/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी)